भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या **:** **87**

**28** जुलाई, 20**1**5 को पूछे जाने वाले प्रश्‍न का उत्‍तर

**नि:शुल्क स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं**

**\*87. श्रीमती शशिकला पुष्पा:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की इस देश के सभी नागरिकों को नि:शुल्क स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने को अनिवार्य बनाने की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार ने सभी जरूरतमंद नागरिकों को नि:शुल्क चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद यसो नाईक)

1. और (ख): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 28 जुलाई, 2015 के तारांकित प्रश्न संख्या – 87 के उत्तर के संदर्भ में उल्लिखित विवरण

वर्तमान में सभी नागरिकों को अनिवार्य रूप से नि:शुल्क स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने की कोई विशेष योजना नहीं है। तथापि 12वीं योजना का प्रमुख लक्ष्य व्यापक स्वास्थ्य कवरेज की ओर अग्रसर होना है अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति तक किफायती लागत पर विभिन्न अनिवार्य दवाइयां और उपचार की पहुंच सुनिश्चित करना है, जो कि अधिकतर जनसंख्या के लिए पूर्णत: नि:शुल्क होनी चाहिए।

जन स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण सभी नागरिकों को किफायती स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। तथापि, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत व्यापक स्वास्थ्य कवरेज की ओर अग्रसर होने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

सरकार व्यापक प्रतिरक्षण, मातृ और बाल स्वास्थ्य, संचारी रोगों के उपचार आदि से संबंधित नि:शुल्क स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है।

\*\*\*